**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**

**<u>29.12.2025</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी संगठन के सदस्यों में से एक, अमरप्रीत कौर चावला पत्नी बनमीत सिंह के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 24.12.2025 को तीसरी अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। जांच के दौरान, निदेशालय ने अमनप्रीत कौर से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाया था, जिसके नाम पर आरोपी ने प्रत्यक्ष पीओसी का उपयोग करके कई अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इन निष्कर्षों के आधार पर, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18.07.2024 को कुल 9.68 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए इस मामले में एक अस्थायी कुर्की आदेश भी जारी किया है।

ईडी ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा पीएमएलए, 2002 की धारा 2(आरए) के एक विशेष प्रावधान का उपयोग करते हुए, विधायक के अनुरोध के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें सीमा पार निहितार्थों के अपराध का संकेत दिया गया था। अनुसूचीबद्ध अपराध एनडीपीएस अधिनियम के अनुरूप हैं। बनमीत सिंह और परविंदर सिंह नामक भाई, अन्य लोगों के साथ मिलकर सिंह डीटीओ (ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गनाइजेशन) नामक एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी समूह चला रहे थे। वे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में ड्रग्स बेचने के लिए डार्क वेब पर वेंडर मार्केटिंग साइटों, क्लियर वेब वेबसाइटों पर कई मुफ्त विज्ञापनों और नशीले पदार्थों और नियंत्रित पदार्थ वितरकों और वितरण सेल के नेटवर्क का उपयोग करते थे। सिंह ऑर्गनाइजेशन को डार्क वेब बाजारों में बिक्री के माध्यम से ड्रग तस्करी से प्राप्त आय प्राप्त हुई, फिर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी लेनदेन के माध्यम से उस आय को शोधित किया। दोनों भाइयों ने सिल्क रोड 1, अल्फा बे और हंसा सहित विभिन्न डार्क वेब बाजारों पर "लिस्टन" उपनाम का उपयोग किया। अब तक ईडी ने पहले की तलाशी में परविंदर सिंह के सुराग के आधार पर लगभग 268.22 बिटकॉइन जब्त किए, जो लगभग 130 करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर है। इससे पहले, ईडी ने दोनों भाइयों, बनमीत सिंह और परविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी ने मुख्य आरोपी परविंदर सिंह और बनमीत सिंह के खिलाफ 24.06.2024 और 26.07.2024 को अभियोजन शिकायतें दर्ज की थीं, जिस पर माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, देहरादून ने क्रमशः 02.07.2024 और 27.07.2024 को पहले ही संज्ञान ले लिया है। माननीय न्यायालय ने बनमीत सिंह के खिलाफ 22.03.2025 के अपने आदेश के माध्यम से पहले ही आरोप तय कर दिए थे।

आगे की जांच जारी है।